प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

183 माण्डलगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री गोपाल लाल शर्मा (नाम)

ग्राम - होड़ा, तहसील - माण्डलगढ़ (पता)

जो **भारतीय जनता पार्टी** (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : भीलवाड़ा

दिनांक: 03 / 12 / 2023



(महेश गगोरिया) रिटर्निंग अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (183) माण्डलगढ

> रिटर्निंग अधिकारी (एस.डी.ओ. व एस.डी.एम) माण्डलगढ़, भीलवाड़ा

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 183 MANDALGARH Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri GOPAL LAL SHARMA (Name)

VILLAGE - HODA, TEHSIL - MANDALGARH (Address)

sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** (name of the recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Bhilwara

Dated: 03 / 12 / 2023

रिटर्निंग उर्का को स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्य

(MAHESH GAGORIYA)

Returning Officer
(Sub Divisional Officer &
Sub Divisional Magistrate, Mandalgarh)
Assembly constituency (183) Mandalgarh

रिटर्निग अधिकारी (एस.डी.ओ. व एस.डी.एम) माण्डलगढ़, भीलवाडा